| तारीख हुक्म | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **प्रेमाराम बनाम भूराराम** | |
| 13-8-25 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16–09–2025 को पेश हो। | |
| 16-9-25 | अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया।<br><br>अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक द्वारा अभिभाषक वादी की अनुपस्थित में वाद को महज अभिभाषक प्रतिवादी के कथनाननुसार वाद को रेस्ज्युडिकेटा के आधार पर खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में न तो पूर्व वाद का कोई विवेचन किया गया और न ही उसके व वर्तमान वाद के कारणो व आधारो का विवेचन किया गया। वर्तमान वाद व पूर्व वाद के कॉज ऑफ एक्शन पूर्वतया अलग है। अलग–अलग कॉज ऑफ एक्शन पर अलग अलग निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। वादी/अपीलांट का वाद रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर खारिज नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारान को सुनवाई का अवसार दिये, पक्षकाराना की अनुपस्थिति में केम्प भेलू में रखकर महज क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया गया है। जहॉ तक विवादक पर मेरिट पर निर्णय पारित नही किया जाता वहॉ कतई रेस ज्युडिकेटा लागू नही होता है।<br>अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र रेस ज्युडिकेटा धारा 10 सीपीसी पर बहस का अंकिन किया गया है। लेकिन धारा 10 सीपीसी के तहत वाद रेस ज्युडिकेटा के आधार पर कतई खारिज नही किया जा सकता है। अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 188 आरटीए का दावा प्रस्तुत किया है जिसमें रेस ज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू नही होता है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2014 पेज 722, सीजे 2016 पेज 1822, सीजे 2015(1) पेज 659, सीजे 2015(1) पेज 337 प्रस्तुत किये।<br><br>अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश वादी/अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिस कारण वादी/अपीलांट को निर्णय की जानकारी नही हो सकी। | |

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लोकडाउन चल रहा था। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 15–06–2020 को अन्य लोगो के साथ खेत पर आया और कहा कि तुम्हारा दावा खारिज हो गया है। मैं इस खेत का सिमाकंन करवाकर कब्जा करूंगा तब वादी/अपीलांट द्वारा कोलायत जाकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो उन्होने भी जानकारी नही होने का कथन किया तथा कोरोना महामारी के कारण न्यायालय जाकर जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की जिस पर वादी/अपीलांट द्वारा तुरन्त अन्य अधिवक्ता से संपर्क कर सम्पूर्ण प्रकरण की कार्यवाही बाबत जानकारी प्राप्त कर देने का कहा जिस पर उनके द्वारा मुझे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर वादी/अपीलांट द्वारा दूसरे दिन दिनांक 16–06–2020 को नकल के लिए आवेदन किया तथा दिनांक 19–06–2020 को नकल प्राप्त की गई। इसलिए रूपयो की व्यवस्था करके अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायहित में देरी बाबत माफी प्रदान करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुदकमा संख्या 65/2017 अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए का पेश किया था जिसमें प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी की जा चुकी है। तथा पक्षकारो की सहमति से खाता विभाजन किया जा चुका है। अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक नया वाद संख्या 117/2016 बउनवान प्रेमाराम बनाम भूराराम पेश किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी का पेश करने पर रेसज्युडिकेटा के आधार पर खारिज कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। जब समान भूमि के संबंध में पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित कर दी गई थी तो दुबारा उसी भूमि के संबंध में न्यायालय में वाद दायर करने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा चलने योग्य नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–12–2019 विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–12–2019 के विरूद्ध अपील दिनांक 29–06–2020 को प्रस्तुत की है जो स्पष्ट रू॰ से मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में मियाद कंडोन करने के जो कारण बताए है वो सत्य नही है। अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू को तय किया जाना है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–12–2019 के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विरूद्ध अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–06–2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 15–06–2020 को हुई। तथा उस दौरान कोरोना महामारी को प्रकोप पूरे भारत में फेला हुआ था। ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में ज्यादा विलम्ब नही हुआ है। जहॉ विलम्ब अधिक नही हो वहॉ अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर होता है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–12–2019 द्वारा रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा 10 सीपीसी के प्रार्थना पर रेसज्युडिकेटा के आधार पर खारिज किया गया है। सर्वप्रथम धारा 10 व धारा 11 सीपीसी का अवलोकन किया जाना उचित है– जिसमें

धारा 10 सीपीसी– **Stay of suit.—No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in 1[India] have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of 1[India] established or continued by 2[the Central Government 3***.] and having like jurisdiction, or before.**

धारा 11 सीपीसी– **Res judicata.—No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.**

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रकरण संख्या 117/2016 बउनवानी प्रेमाराम बनाम भूराराम विचाराधीन था जिसमें अपीलाधीन आदेश जारी किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह भी प्रकट होता है कि पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 65/2017 बउनवानी भूराराम बनाम अमराराम में दिनांक 31–07–2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजो से यह भी प्रकट होता है कि पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 63/2014 बउनवानी अमराराम बनाम चंपादेवी में दिनांक 11–05–2017 को निर्णय पारित किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह था कि वर्तमान प्रकरण तथा इन पूर्ववर्ती प्रकरणो में विवाद कीविषयवस्तु (वादग्रस्त आराजी), पक्षकार, अनुतोष समान है अथवा नही?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में केवल विवाद की विषयवस्तु समान होने के आधार पर रेस्ज्युडिकेटा के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर वाद वादी खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन प्रकरणो में पक्षकार एवं अनुतोष के संबंध में अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन प्रकरण एवं पूर्ववर्ती प्रकरणो में यद्यपि वादग्रस्त आराजी समान है परन्तु सभी प्रकरणो में अनुतोष पृथक–पृथक है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–12–2019 में यह अंकित किया है कि *वादी को रूक–रूक कर आवाजे लगवाई गई। वादी उपस्थित नही।* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की अनुपस्थिति की स्थिति में वाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था। जबकि केवल प्रतिवादी की बहस सुनते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश कैम्प में पारित किया गया जबकि कैम्प/लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण आम सहमति के आधार पर होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी का प्रस्तुत हुआ था जिसमें 'स्टै ऑफ सूट' का प्रोविजन है जबकि अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 10 व धारा 11 सीपीसी की गलत व्याख्या करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो कि विधिक त्रुटि की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया था। धारा 188 के तहत अलग–अलग वाद हेतुक पर अलग–अलग वाद लाने में भी कोई विधिक बाधा नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–12–2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16–09–2025 को सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर